

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:-

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या*	भर्ती की विधि
1.	महाप्रबंधक (विधि)	02 (दो)	प्रतिनियुक्ति
2.	महाप्रबंधक (परिवहन योजनाकार)	01 (एक)	
3.	महाप्रबंधक (परिवहन अर्थशास्त्री)	01 (एक)	
4.	महाप्रबंधक (पर्यावरण)	01 (एक)	
5.	महाप्रबंधक ((इलेक्ट्रॉनिक्स)	01 (एक)	
6.	महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	02 (दो)	
7.	उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	04 (चार)	
*पदों की संख्या प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है।			

पात्रता शर्तों का विवरण

क्र. सं..	पद का नाम	भरे जाने वाले पद की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	भर्ती की विधि	आयु सीमा
	1	2	3	4	5	6
1.	महाप्रबंधक (विधि)	02 (दो)	समूह-क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-13 (रु° 123100-215900)	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति के लिए: 56 वर्ष से अधिक नहीं
आवश्यक अर्हता और अनुभव		भर्ती मानदंड				
7		8				
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक उपाधि। और (ii) अर्हता के बाद 14 वर्ष का अनुभव, जिसमें से संविदात्मक मामलों या मध्यस्थता या विधायी मामलों या भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून के क्षेत्र में कम से कम 06 वर्ष का अनुभव। वांछनीय शैक्षिक अर्हता: - विधि स्नातक के साथ-साथ सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।		प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों से :- (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (रु. 123100-215900) या समकक्ष में सद्यः पद पर कार्यरत हो । या (ii) नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78800-209200) या समकक्ष में पाँच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। और कॉलम 7 में निर्धारित आवश्यक अर्हता और अनुभव रखते हों। नोट:- प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः 01 से 05 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि 05 वर्ष तक अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से तय की जा सकेगी। संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से 06वें वर्ष के लिए और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुमोदन से 07वें वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।				

	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। उम्मीदवारों की मूल विभाग में सेवानिवृत्ति से पहले आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक दो वर्ष से अधिक की सेवा शेष होनी चाहिए।
--	---

क्र. सं.	पद का नाम	भरे जाने वाले पद की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	भर्ती की विधि	आयु सीमा
	1	2	3	4	5	6
2.	महाप्रबंधक (परिवहन योजनाकार)	01 (एक)	समूह-क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-13 (रु. 123100-215900)	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति के लिए: 56 वर्ष से अधिक नहीं
आवश्यक अर्हता और अनुभव		भर्ती मानदंड				
7		8				
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि। और (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परिवहन योजना में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा। और (iii) अर्हता के बाद 14 वर्ष का अनुभव, जिसमें से परिवहन परियोजनाओं, अधिमानतः सड़क परियोजनाओं के मूल्यांक में 06 वर्ष का अनुभव।		प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों से- : (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (रु. 123100 - 215900) या समकक्ष में सदृश पद पर कार्यरत हो। या (ii) नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु .78800-209200) या समकक्ष में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। और कॉलम 7 में निर्धारित आवश्यक अर्हता और अनुभव रखते हों। नोट:- प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः 01 से 05 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि 05 वर्ष तक अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से तय की जा सकेगी। संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से 06वें वर्ष के लिए और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुमोदन से 07वें वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। उम्मीदवारों की मूल विभाग में सेवानिवृत्ति से पहले आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक दो वर्ष से अधिक की सेवा शेष होनी चाहिए।				

क्र. सं.	पद का नाम	भरे जाने वाले पद की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	भर्ती की विधि	आयु सीमा
	1	2	3	4	5	6
3.	महाप्रबंधक (परिवहन अर्थशास्त्री)	01 (एक)	समूह-क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-13 (रु. 123100-215900)	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति के लिए: 56 वर्ष से अधिक नहीं
आवश्यक अर्हता और अनुभव		भर्ती मानदंड				
7		8				
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। और (ii) अर्हता के बाद 14 वर्ष का अनुभव, जिसमें से परियोजनाओं, अधिमानतः परिवहन या सड़क क्षेत्र में, के आर्थिक विश्लेषण या वित्तीय मूल्यांक में 06 वर्ष का अनुभव।		प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों से- : (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (रु .123100-215900) या समकक्ष में सट्टा पद पर कार्यरत हों। या (ii) नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु .78800-209200) या समकक्ष में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। और कॉलम 7 में निर्धारित आवश्यक अर्हता और अनुभव रखते हों। नोट:- प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः 01 से 05 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि 05 वर्ष तक अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से तय की जा सकेगी। संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से 06वें वर्ष के लिए और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुमोदन से 07वें वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। उम्मीदवारों की मूल विभाग में सेवानिवृत्ति से पहले आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक दो वर्ष से अधिक की सेवा शेष होनी चाहिए।				

क्र. सं.	पद का नाम	भरे जाने वाले पद की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	भर्ती की विधि	आयु सीमा
	1	2	3	4	5	6
4.	महाप्रबंधक (पर्यावरण)	01 (एक)	समूह-क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-13 (रु. 123100-215900)	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति के लिए: 56 वर्ष से अधिक नहीं
आवश्यक अर्हता और अनुभव		भर्ती मानदंड				
7		8				
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या पर्यावरण विज्ञान या वानिकी या बागवानी या भूविज्ञान या रसायन विज्ञान या भूगोल या पशुपालन या पशु चिकित्सा विज्ञान में विज्ञान स्नातक या विज्ञान परास्नातक। या पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या स्नातकोत्तर ऑफ टेक्नोलॉजी। या भारतीय वन सेवा (IFS) के एक अधिकारी। और (ii) अर्हता के बाद 14 वर्ष का अनुभव, जिसमें से पर्यावरण (पर्यावरण, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), वन, वन्यजीव) मंजूरी, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) या पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), वन प्रस्ताव और वन्यजीव प्रस्ताव तैयार करने, पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी और विश्लेषण में 09 वर्ष का अनुभव।		प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों से- : (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (रु. 123100-215900) या समकक्ष में सदृश पद पर कार्यरत हों। या (ii) नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु .78800-209200) या समकक्ष में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। और कॉलम 7 में निर्धारित आवश्यक अर्हता और अनुभव रखते हों। नोट:- प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः 01 से 05 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि 05 वर्ष तक अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से तय की जा सकेगी। संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से 06वें वर्ष के लिए और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुमोदन से 07वें वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। उम्मीदवारों की मूल विभाग में सेवानिवृत्ति से पहले आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक दो वर्ष से अधिक की सेवा शेष होनी चाहिए।				

क्र. सं.	पद का नाम	भरे जाने वाले पद की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	भर्ती की विधि	आयु सीमा
	1	2	3	4	5	6
5.	महाप्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिक्स)	01 (एक)	समूह-क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-13 (रु. 123100-215900)	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति के लिए: 56 वर्ष से अधिक नहीं
आवश्यक अर्हता और अनुभव		भर्ती मानदंड				
7		8				
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि। और (ii) अर्हता के बाद 14 वर्ष का अनुभव जिसमें से 06 वर्ष राज्य या केंद्र सरकार के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों या परियोजनाओं का अनुभव।		प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों से- : (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (रु. 123100-215900) या समकक्ष में सदृश पद पर कार्यरत हों। या (ii) नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78800-209200) या समकक्ष में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। और कॉलम 7 में निर्धारित आवश्यक अर्हता और अनुभव रखते हों। नोट:- प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः 01 से 05 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि 05 वर्ष तक अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से तय की जा सकेगी। संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से 06वें वर्ष के लिए और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुमोदन से 07वें वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। उम्मीदवारों की मूल विभाग में सेवानिवृत्ति से पहले आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक दो वर्ष से अधिक की सेवा शेष होनी चाहिए।				

क्र. सं..	पद का नाम	भरे जाने वाले पद की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	भर्ती की विधि	आयु सीमा
	1	2	3	4	5	6
6.	महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	02 (दो)	समूह-क	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रु° 123100-215900)	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति के लिए: 56 वर्ष से अधिक नहीं
आवश्यक अर्हता और अनुभव		भर्ती मानदंड				
7		8				
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर्स इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (एमसीए)। और (ii) अर्हता के बाद 14 वर्ष का अनुभव, जिसमें से सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में सूचना प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस से संबंधित परियोजनाओं को संभालने का कम से कम 06 वर्ष का अनुभव।		प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पदों के अधिकारियों से:- (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (रु. 123100-215900) या समकक्ष में सटश पद पर कार्यरत हों। या (ii) नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में नियमित आधार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78800-209200) या समकक्ष में पाँच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। और कॉलम 7 में निर्धारित आवश्यक अर्हता एवं अनुभव रखते हों। नोट:- प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः 01 से 05 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि 05 वर्ष तक अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से तय की जा सकेगी। संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से 06वें वर्ष के लिए और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुमोदन से 07वें वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। उम्मीदवारों की मूल विभाग में सेवानिवृत्ति से पहले आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक दो वर्ष से अधिक की सेवा शेष होनी चाहिए।				

क्र. सं.	पद का नाम	भरे जाने वाले पद की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	भर्ती की विधि	आयु सीमा
	1	2	3	4	5	6
7.	उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	04 (चार)	समूह-क	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-12 (रु. 78800-209200)	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति के लिए: 56 वर्ष से अधिक नहीं
आवश्यक अर्हता और अनुभव		भर्ती मानदंड				
7		8				
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर्स इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (एमसीए)। और (ii) सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों या प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों में सूचना प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस से संबंधित परियोजनाओं को संभालने का कम से कम छह वर्ष का अनुभव।		प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पदों के अधिकारियों से :- (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78800-209200) या समकक्ष में सट्टा पद पर कार्यरत हों। या (ii) नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (रु. 67700-208700) या समकक्ष में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। और कॉलम 7 में निर्धारित आवश्यक अर्हता और अनुभव रखते हों। नोट:- प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः 01 से 05 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि 05 वर्ष तक अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से तय की जा सकेगी। संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से 06वें वर्ष के लिए और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुमोदन से 07वें वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। उम्मीदवारों की मूल विभाग में सेवानिवृत्ति से पहले आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक दो वर्ष से अधिक की सेवा शेष होनी चाहिए।				

महत्वपूर्ण तिथियां

समय सीमा	
ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि	19.08.2026 (10:00 पूर्वाह्न) (बुद्धवार)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	18.09.2026 (06:00 अपराह्न) (शुक्रवार)
मूल विभाग से अपेक्षित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट जमा करने की अंतिम तिथि।	17.10.2026 (शनिवार) नोट: एनएचआई अपने विवेक से चयन समिति की बैठक/साक्षात्कार से 02 दिन पहले मूल विभागों से उचित माध्यम से प्राप्त अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन स्वीकार करने की तिथि बढ़ा सकता है।

महत्वपूर्ण निर्देश:

पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:-

- इन पदों पर अखिल भारतीय स्तर पर सेवा की बाध्यता है। अतः, जो लोग भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक हैं, वे इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।
- विज्ञापन के अनुसार पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनएचआई द्वारा चयनित आवेदक नियुक्ति प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि वह नियुक्ति प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए भाराराप्रा द्वारा किसी भी अन्य नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन के मामले में, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वे आवेदक जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक दो वर्ष के भीतर अपने मूल संवर्ग से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय/महिलाएं/बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD) संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही पद उनके लिए आरक्षित न हो, लेकिन उन्हें उपयुक्त माना गया हो। हालांकि, ऐसे आवेदकों को योग्यता के सामान्य मानक के आधार पर ऐसे पद पर चयन के लिए विचार किया जाएगा। कम से कम 40% प्रासंगिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति ही नियमों के तहत स्वीकार्य आरक्षण और अन्य छूट के लाभ के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार, शारीरिक रूप से विकलांग (PH) व्यक्ति नियमों के तहत स्वीकार्य आरक्षण और अन्य रियायतों और छूटों का लाभ तभी उठा सकते हैं, जब शारीरिक विकलांगता की डिग्री 40% या उससे अधिक हो और पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों।
- ▶ 6. प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने के लिए पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (विस्तारित तिथि, यदि कोई हो, सहित) होगी।
7. **पीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत** आवेदक वेतन संरचना की समतुल्यता (सीडीए बनाम आईडीए और सीडीए बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच) के संबंध में विज्ञापन के साथ संलग्न **भाराराप्रा परिपत्रों का संदर्भ** ले सकते हैं।
8. किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार या प्रभाव डालने पर उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।
9. विज्ञापन को सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बिना कोई कारण बताए किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
10. चयन प्रक्रिया में किसी भी विवाद/अस्पष्टता/भ्रम की स्थिति में, संबंधित पद के लिए भाराराप्रा में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि इस विशिष्ट पद के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो यदि अध्यक्ष, भाराराप्रा की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, पद के लिए वांछित आवश्यक अनुभव को शिथिल कर सकते हैं।
12. भाराराप्रा में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी, जैसा कि भाराराप्रा के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू है; या जैसा कि उनके मूल संगठन में उनके लिए लागू है, जो

भी कम हो।

13. भाराराप्रा के फीडर ग्रेड के विभागीय अधिकारी जो संबंधित पद के भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति की प्रत्यक्ष कतार में हैं, वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी भी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे।
14. चयन प्रक्रिया में अनजाने में हुई किसी भी गलती के मामले में, जो नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने के बाद भी किसी भी स्तर पर पता चलने पर, भाराराप्रा आवेदक को किए गए किसी भी संचार को संशोधित / वापस लेने / रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15. चयन/भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई भी कानूनी विवाद केवल दिल्ली स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
16. पात्रता, आवेदन की स्थिति, डाक में देरी, परीक्षा का संचालन और परिणाम, चयन प्रक्रिया आदि के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्राचार या प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
17. प्राधिकरण अपने विवेकानुसार आवेदनों की जांच करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड अपना सकता है और जांचे गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार आदि के लिए बुला सकता है। भाराराप्रा चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से कम संख्या में उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

आवेदन प्रक्रिया

18. **आवेदक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।** आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है - :

- i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट [["http://www.nhai.gov.in"](http://www.nhai.gov.in)] पर जा सकते हैं।
लिंक को Google Chrome या Mozilla Firefox पर खोला जा सकता है।
- ii) About Us → Vacancies → Current टैब पर क्लिक करें। संबंधित भर्ती विज्ञापन पर क्लिक करें और फिर 'ऑनलाइन आवेदन' पर क्लिक करें।
- iii) जब आप "APPLY" पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको प्राधिकरण पोर्टल पर पुनः निर्देशित कर देगा।
- iv) नीचे दी गई जानकारी के साथ पंजीकरण करें
 1. उपयोगकर्ता आईडी (उपयोगकर्ता आईडी कुछ भी हो सकती है)
 2. पासवर्ड बनाएँ
 3. नाम
 4. फ़ोन नंबर
 5. ईमेल आईडी
 6. आधार कार्ड नंबर (वैकल्पिक)
- v) उपरोक्त सभी विवरण दर्ज करने के बाद, अपने पंजीकृत ईमेल पर प्राप्त उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ सिस्टम में लॉगिन करें।
- vi) लॉगिन करने के बाद:
 1. जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं
 2. आवेदन पत्र भरें
- vii) पूरा आवेदन भरें
 1. फॉर्म में सभी फ़ील्ड अनिवार्य है।
 2. अपनी जन्मतिथि और सेवानिवृत्ति की आयु दर्ज करने के बाद, एंटर बटन दबाएँ। एक बार जब आप एंटर बटन दबाते हैं, तो सिस्टम स्वचालित रूप से गणना करेगा और अगली पंक्ति में इसे भर देगा।
 3. फॉर्म भरें और रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर, डिजिटल हस्ताक्षर, आवश्यक शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता, पदोन्नति / नियुक्ति आदेश की सभी स्कैन की गई प्रतियाँ, केवल 'jpg' / 'jpeg' या 'png' या 'gif' 'pdf' छवि प्रकारों में 1 एमबी से अधिक नहीं, अपलोड की जा सकती हैं।
 4. जिन फ़ील्ड में आपको अपनी शैक्षणिक और अनुभव जानकारी जोड़नी है, दिए गए बॉक्स में विवरण जोड़ें और सभी डेटा जोड़ने के बाद, सूची में समान जोड़ें पर क्लिक करें। एक बार जब आप सूची में समान जोड़ लेते हैं, तो आप नीचे दी गई तालिका में विवरण देख सकते हैं।
 5. आवेदन पत्र भरने के बाद, आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए 'पूर्वावलोकन' बटन पर क्लिक करें।
 6. यदि आप दिए गए फॉर्म में कोई डेटा बदलना चाहते हैं, तो उसे बदल दें।
 7. जब सारी जानकारी ठीक से भर लें, तो जानकारी को सुरक्षित करने के लिए 'फाइनल सबमिट' का उपयोग करें।
 8. एक बार जब आप 'अपना आवेदन सबमिट करें बटन' पर क्लिक करते हैं, तो सिस्टम आपको अगली स्क्रीन पर ले जाएगा जहां आप 'संदर्भ संख्या' देख सकते हैं और आपके पास फॉर्म डाउनलोड करने का विकल्प भी होगा।

viii) ऑनलाइन आवेदन **18.09.2026 (06:00 अपराह्न)** तक जमा किया जा सकता है।

► ix) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आवेदक द्वारा दर्ज किए गए विवरण सहित उसका 'पीडीएफ' प्रारूप तैयार किया जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट लेना चाहिए और उसे अपने मूल विभाग से निर्धारित 'सत्यापन प्रमाणपत्र' और एपीएआर/एसीआर की प्रमाणित प्रति के साथ अग्रेषित करवाना चाहिए। आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित विभाग/संगठन को यह करना चाहिए:

(क) पिछले पांच (05) वर्षों के लिए अधिकारी के कार्य और आचरण के संबंध में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट / वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट / एपीएआर / एसीआर का सार के प्रमाण पत्र की **सत्यापित** प्रतियां, इसके साथ ही सतर्कता मंजूरी भी देनी होगी कि पिछले दस वर्षों में अधिकारी के विरुद्ध कोई शास्ति नहीं लगाई गई है, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और कोई शास्ति नहीं लगाने का प्रमाण पत्र भी देना होगा।

(ख) प्रमाणित करें कि आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता(ओं), प्रासंगिक अनुभव और वेतन विवरण आदि के संबंध में दिए गए विवरण सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित किए गए हैं और सत्य, सही और पूर्ण हैं।

19. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पद के लिए उल्लिखित पात्रता मानदंड और अनुभव के अनुसार **ऑनलाइन** आवेदन पत्र को ध्यान से भरें। किसी अन्य तरीके/प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। किसी भी तरह से अधूरे आवेदन, खासकर वेतनमान के विवरण के बिना, बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाद की तारीख में नौकरी प्रोफ़ाइल/अनुभव आदि के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

20. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना, ऑनलाइन भर्ती आवेदन समय से पहले ही जमा कर दें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि अपेक्षित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट निर्धारित समय के भीतर उनके मूल विभागों के माध्यम से भेज दिया जाए।

21. एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदन पर केवल आवेदन में दर्शाए गए प्रथम पद के लिए ही विचार किया जाएगा।

22. इस विज्ञापन के हिन्दी में अनूदित संस्करण में किसी भी प्रकार की विसंगति या भिन्नता होने पर, अंग्रेजी संस्करण में विज्ञापित पाठ को अंतिम माना जाएगा।

► 23. आवेदक के मूल विभाग द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रमाणपत्र और पिछले पांच (05) वर्षों के एपीएआर/एसीआर की फोटोकॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन का विधिवत भरा हुआ प्रिंटआउट, **17.10.2026 तक या उससे पहले** निम्नलिखित पतों पर पहुंच जाना चाहिए।

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन / प्रशासन)-Iख
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
प्लॉट नंबर जी-5 और 6, सेक्टर-10, द्वारका,
नई दिल्ली-110075

24. इस विज्ञापन में 'शुद्धिपत्र' या 'परिशिष्ट' या 'निरस्तीकरण', यदि कोई हो, केवल प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसलिए, आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्राधिकरण की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

25. ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई तकनीक कठनाई आने पर अथवा आईट डेवलपमेंट टीम के साथ या 011-25074100/25074200 ए टशन नंबर 1028 / ई-मेल: itdevelopment@nhai.org पर संपर्क था पत कया जा सकता है।

* * * * *